न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—318/2016/223 (2018/00318)

1. देवराज पुत्र रामकिशन, जाति कहार, निवासी सदारा, तह0 सावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. मनफूली पत्नी कानराम,
2. कानाराम पुत्र मोडू,
   समस्त जाति रेगर, निवासी सदारा, तह0 सावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 16.6.216 एवं डिक्री दिनांक 24.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 178/2013.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पोडेंटस ।

निर्णय

दिनांकः— 23.11.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय दिनांक 16.6.216 एवं डिक्री दिनांक 24.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 465 रकबा 0.32 है0 ग्राम सदारा, तहसील सावर में स्थित है । उक्त आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीसंख्या 1 का 2/3 हिस्सा है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज चले आ रहे है । प्रतिवादी संख्या 1 अनुसूचित जाति की महिला है जो आये दिन वादी के साथ लड़ाई झगड़ा करती है तथा वादी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है । इस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद वादी डिक्री किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने दिनांक 16.6.2016 को वादी का वाद स्वीकार कर वाद में दिनांक 24.6.2016 को अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने अपीलांट को सुनवाई अवसर प्रदान किये बिना निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की है । पटवारी हल्का एवं भू—अभिलेख निरीक्षक

द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये गये है जबकि भूमिधारी तहसीलदार को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने चाहिये थे । तहसीलदार को अपनी शक्तियां अन्य अधिकारियों को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 ने पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित करने में भूल की है । बहस में आगे कथन किया कि बंटवारा प्रस्ताव एकपक्षीय है जिसकी सूचना वादी को नहीं दी गई बल्कि प्रतिवादी के कथनानुसार मौका रिपोर्ट बना कर भेज दी गई जो मौके के विपरीत है । वादी का कब्जा उत्तरी–पूर्वी दिशा में चला आ रहा है परन्तु वादी की सहमति के बिना कैम्प सदारा में पूर्वी–पश्चिमी दिशा की ओर बंटवारा कर दिया गया है । बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया जबकि कानूनन बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर आपत्तिया आमंत्रित की जाती है । पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में न तो वादी के हस्ताक्षर है और न ही वादी को रिपोर्ट तैयार करते समय बुलाया गया था । अधी0न्याया0 ने जिस प्रकार बंटवारा किया है उसमें खेतों को लंबी पट्टी में टुकड़े कर दिये है जो काश्तकारी अधि0 के नियम 18 से 21 के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.6.2016 एवं डिक्री दिनांक 24.6.2016 को निरस्त किया जावे तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को रिमाण्ड कर पक्षकारों की उपस्थिति में भौतिक स्थिति में काबिज अनुसार बंटवारा रिपोर्ट मंगाकर डिक्री पारित की जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर वादी एवं प्रतिवादी को पढ़कर सुनाया जिसे वादी एवं प्रतिवादी ने स्वीकार किया है । मौका पर्चा वादी एवं प्रतिवादी के बताये अनुसार तैयार किया गया है । अधी0न्याया0 ने अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि को ध्यान में रखते हुए विवादित आराजियात का बंटवारा कर अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को सुनवाई अवसर प्रदान किये बिना निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की है । पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये गये है जबकि भूमिधारी तहसीलदार को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने चाहिये थे । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा तहसीलदार, केकड़ी से विवादित भूमि के संबंध में बंटवारा प्रस्ताव तलब किये जाने पर बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार, केकड़ी स्वंय द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किये गये है बल्कि भू–अभिलेख निरीक्षक मेवदकंला द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधी0न्याया0 को प्रेषित किये गये है । इस संबंध में अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे0 2019 पेज 751 एवं आर0बी0जे0 2017 पेज 299 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि '' राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955–नियम 18 से 21–तहसीलदार स्वंय विभाजन के प्रस्ताव बनाये न कि पटवारी या भू–अभिलेख निरीक्षक– विभाजन के प्रस्ताव की सूचना सभी पक्षकारों को दी जावे व विभाजन के प्रस्ताव बाहमी बंटवारा मीट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर किये जावे । '' अधी0न्याया0 राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955–नियम 18 से 21 की पालना नहीं किया जाना स्पष्ट होता है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री को विधिसम्मत् नहीं

माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.6.2016 तथा डिक्री दिनांक 24.6.216 को निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार, केकड़ी स्वंय द्वारा पक्षकारान की मौजूदगी में निर्मित्त बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में अंतिम डिक्री पारित करे । । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर